



सिद्धार्थनगर पुलिस



संशोधित प्रेस नोट दिनांक 10.08.2025 सिद्धार्थनगर पुलिस ।

◆थाना ढेबरुआ पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा एनडीपीएस एक्ट के 04 अभियुक्तगण को 52.09 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक(हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से 02 मोबाइल फोन, 20470 भारतीय रुपया व 945 नेपाली मुद्रा, घटना में शामिल 01 चार पहिया वाहन बरामद ।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध व नेपाल बार्डर से हो रही तस्करी की रोकथाम के दृष्टिगत चलाये जा रहे अभियान के आदेश के क्रम में एवं प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व पवीन प्रकाश क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ के कुशल पर्वेक्षण एवं गौरव सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना ढेबरुआ के नेतृत्व में आज दिनांक 10.08.2025 को चौकी प्रभारी बड़नी मय पुलिस बल व एसएसबी की संयुक्त टीम के साथ मलगहिया मोड पर पहुंच कर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी कि एक सफेद कार आते हुये दिखायी दी उक्त गाड़ी को पुलिस बल द्वारा रोका गया तो गाड़ी मे तीन पुरुष और एक महिला बैठे हुये थे । सभी को गाड़ी से बाहर निकलवाकर बारी बारी से पूछताछ व जामा तलाशी ली गयी तो संजय गुप्ता के पास 10.28 ग्राम स्मैक (हेरोइन) व 01 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन 02.अर्चना गुप्ता पत्नी संजय गुप्ता के पास 12.54 ग्राम स्मैक (हेरोइन) व 01 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन तथा 20470 रुपये भारतीय व 945 रुपये नेपाली 03.दहु सोनकर पुत्र स्व० तिलकराम के पास 9.97 ग्राम स्मैक (हेरोइन) 04.जलील पुत्र खादीम के पास से 10.27 ग्राम स्मैक (हेरोइन) बरामद हुआ तथा 01 चार पहिया वाहन मारुति सुजिकी स्वीफ्ट डिजायर में से 9.03 ग्राम स्मैक (हेरोइन) बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना ढेबरुआ पर मु०अ०स० 135/2025 धारा 8/22 NDPS पंजीकृत किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण-

01-कुल 52.09 ग्राम स्मैक (हेरोइन)

02.दो अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन तथा 20470 रुपये भारतीय व 945 रुपये नेपाली तथा

03.एक चार पहिया वाहन मारुति सुजिकी स्वीफ्ट डिजायर ।

अभियुक्तगण का विवरण—

01.संजय गुप्ता पुत्र राजेन्द्र गुप्ता निवासी वार्ड न0 09 रामलीला मैदान नगर पंचायत बढनी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर

02.अर्चना गुप्ता पत्नी संजय गुप्ता निवासी वार्ड न0 09 रामलीला मैदान नगर पंचायत बढनी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।

03.दहु सोनकर पुत्र स्व0 तिलकराम निवासी ग्राम हसुआडोल थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर ।

04.जलील पुत्र खादीम निवासी ग्राम मशूरगंज थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराईच ।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि संजय गुप्ता व उसकी पत्नी अर्चना गुप्ता द्वारा स्मैक(हेरोइन) दहु सोनकर पुत्र स्व0 तिलकराम से खरीद कर लाते है तथा बढनी में बेचा करते है । दहु सोनकर द्वारा स्मैक (हेरोइन) जलील पुत्र खादीम से खरीद कर संजय गुप्ता व उसकी पत्नी अर्चना गुप्ता को बेचता है ।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

संजय गुप्ता पुत्र राजेन्द्र गुप्ता का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0स0 181/2024 धारा 331(4),317(2),305(5) BNS थाना ढेबरुआ

अर्चना गुप्ता पत्नी संजय गुप्ता-

01.मु0अ0स0 225/2023 धारा 8/22 NDPS एक्ट थाना ढेबरुआ

जलील पुत्र खादीम का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0स0 77/2022 धारा 147,148,149,452,307,323,504,506,IPC

02.मु0अ0स0 144/2022 धारा 8/20 NDPS एक्ट

03.मु0अ0स0 436/2009 धारा 323,504,506,IPC

04.मु0अ0स0 943/2009 धारा 60 EX एक्ट

दहु सोनकर पुत्र स्व0 तिलकराम का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0स0 2/2023 धारा 8/21 NDPS

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 01.उ0नि0 अनिरुद्ध सिंह प्रभारी चौकी बढनी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02.उ0नि0 मथन सिंह,किशोर गिरी 50वीं वाहिनी एसएसबी कम्पनी मलगहिया
03. मु0आ0 अदनान शेख- चौकी बढनी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04.मु0आ0 गुजन कुमार 50 वीं वाहिनी एसएसबी G कम्पनी मलगहिया ।
- 05.आरक्षी विशाल गौड, मनीष चौधरी, पंचम यादवथाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 06.आरक्षी राजन सिंह, शंकर लाल-50 वीं वाहिनी एसएसबी कम्पनी मलगहिया
06. म0का0 मीरा रानी-थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 10.08.2025 सिद्धार्थनगर पुलिस ।

◆थाना लोटन पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

◆चोरी की 02 बकरियां और घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिलें बरामद किया गया।

दिनांक 8 अगस्त 2025 को धनंजय सिंह द्वारा आपातकालीन सेवा नंबर 112 पर सूचना दी कि उनकी बकरियां अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर ली गई हैं। इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए डॉ. अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के निगरानी में, क्षेत्राधिकारी विश्वजीत सौरयान (IPS) ने पर्यवेक्षण में और थानाध्यक्ष लोटन दिनेश कुमार सरोज मय टीम द्वारा दिनांक 09.08.2025 को 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर 02 बकरियों व घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगण को आज दिनांक 10.08.2025 को माननीय न्यायालय भेजा गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 94/2025 धारा 305A,317(2) बीएनएस पंजीकृत किया है। बरामद बकरियों को बकरी मालिक को सुपुर्द किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01-राहुल वर्मा पुत्र संतराम वर्मा, निवासी ग्राम वर्डपुर नंबर 9, थाना मोहाना, जनपद सिद्धार्थनगर।

02- दुर्गेश पुत्र पूर्णमासी भूज, निवासी ग्राम लकड़ा, थाना मोहाना, जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी का विवरण:

02- 02 बकरियां

03- 02 अदद मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

01-थानाध्यक्ष दिनेश कुमार सरोज थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

02-उ0नि0 नंदा प्रसाद थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

03-मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र यादव थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

04-मुख्य आरक्षी संजय गुप्ता थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

05-मुख्य आरक्षी सुनील दत्त थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट -दिनांक- 10.08.2025 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆थाना कोतवाली बांसी पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़खानी का आरोपी 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

डॉ० अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में व मयंक द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन व संतोष कुमार तिवारी, प्रभारी निरीक्षक को० बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक- 10.08.2025 को बांसी पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 159/2025 धारा 74, 333, 352, 351(3) बीएनएस व 5/6, 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)ध, 3(2)5ए एससी एसटी एक्ट सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.रियाज पुत्र मो० जम्मा साकिन मो० पन्तनगर थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. उ०नि० शम्स जावेद खान, थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
02. हे०का० रामशब्द यादव, थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
03. का० राकेश यादव, थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

